म.प्र.प.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमिटेड, इंदौर

म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर

"वितरण व्यवस्था सुधार हेतु परियोजना जो कि ए.डी.बी. ऋण क्रं. 3066 के अंतर्गत है"

कार्यकारी सारांश

1. परिचय

1. विद्युत संचारण और वितरण प्रणाली नेटवर्क में सेवा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिये , मध्य प्रदेश सरकार (जी.ओ.एम.पी.) ने एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) जैसे विकास भागीदारों से वित्त पोषण के साथ बिजली क्षेत्र में निवेश करने की पहल की है। निवेश में विद्यमान विद्युत संचारण और वितरण नेटवर्क के विस्तार , उन्नयन और पुनर्गठन समाहित हैं।

2. सभी वितरण कंपनियों और पारेषण कंपनी के लिये एक संयुक्त आई.ई.ई. (प्राथमिक पर्यावरण प्रतिवेदन) रिपोर्ट सितंबर, 2013 में ए.डी.बी. की मंजूरी के लिये जमा की गई थी। हालांकि , कार्यों और सर्वेक्षण की प्रगति के दौरान, कुछ उपकेंद्र के स्थान परिवर्तन हुए थे , कुछ वितरण लाइनें उसी परियोजना में भी जोडी गयी थी और कुछ को हटा दिया गया था क्योंकि वे अब आवश्यक नहीं थे। उपकेंद्र के संबंध में , 8 नग उपकेंद्रों का उनके मूल स्थान से परिवर्तन कर दिया गया था। इन परिवर्तनों के प्रकाश में , आई.ई.ई. रिपोर्ट को जनवरी 2018 में अद्यतन (अपडेट) किया गया था कि जिसमें प्रस्तावित नये 40 नग 33/11 के.व्ही. सबस्टेशन , 33 के.व्ही. वितरण लाइनों के फीडर बायफर्केशन, 8 नग उपकेंद्र के नये स्थान परिवर्तनों को सम्मिलित किया जा सके व साथ ही 100 के.व्ही.ए के नये डी.टी.आर. को भी सम्मिलित करने के लिये उक्त प्रतिवेदन अपडेट की गई है। पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कंपनी के क्षेत्राधिकार में डीटीआर और संबंधित वितरण 11 के.व्ही. और एल.टी. लाइनों का विवरण तालिका संख्या 3.1 में उल्लेखित है।

2. परियोजना विवरण

3. परियोजना में निष्पादन एजेंसी कर्मचारियों के लिये क्षमता निर्माण सहित प्रमुख वितरण प्रणाली में सुधार, शामिल है। परियोजना के लिये निष्पादन एजेंसी (ई.ए.) मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड , इंदौर हैं, जो कि इंदौर क्षेत्र व उज्जैन क्षेत्र के लिये वितरण प्रणाली में सुधार के लिये डिस्कॉम-वेस्ट के रूप में कार्यरत है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड , इंदौर, के अंतर्गत वितरण प्रणाली सुधार के घटक में नये 33/11 के.व्ही. उपकेंद्र का निर्माण , अधिभारित 33 के.व्ही. फीडर का विभाजन , बिजली ट्रांसफॉर्मर के अतिरिक्त / संवर्धन, वितरण ट्रांसफॉर्मर और केपेसिटर बैंक की स्थापना शामिल होगी। इसके अतिरिक्त 40 नये 33/11 के.व्ही. उपकेंद्र का निर्माण करने का प्रस्ताव भी है। परियोजना की प्रगति के दौरान , सरकारी भूमि की

अनुपलब्धता के कारण मूल रूप से प्रस्तावित 40 नग उपकेंद्रों में से 8 नग उपकेंद्रों के स्थान परिवर्तित कर दिये गए हैं व सभी परिवर्तित स्थानों का केवल सरकारी भूमि पर ही निर्माण का प्रस्ताव है। अस्थायी किराये के वितरण ट्रांसफॉर्मर के स्थान पर स्थायी 100 के.व्ही.ए. वितरण ट्रांसफॉर्मर की स्थापना और संबंधित 11 के.व्ही. और एल.टी. लाइन को निम्नलिखित तकनीकी उद्देश्यों के साथ परियोजना में जोड़ा गया है: -

• युक्तियुक्त रूप से लोड कर्व को समतल करना | ताकि बिजली खरीद की लागत को कम करना तथा डेविएशन चार्जेस के दंड को कम करना।
• कृषि उपभोक्ताओं के लिये बेहतर आपूर्ति।
• टी एंड डी और एटी एंड सी हानि में कमी।
• बुनियादी ढांचे में सुधार करके प्रणाली को सुदृढ़ करना।
• ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता के लिये वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार करने के लिये।

4. मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड , इंदौर, के अंतर्गत वितरण प्रणाली सुधार के घटक में नये 33/11 के.व्ही. उपकेंद्र का निर्माण, अधिभारित 33 के.व्ही. फीडर का विभाजन, बिजली ट्रांसफॉर्मर की अतिरिक्त क्षमता/क्षमता संवर्द्धन, के कार्य और केपेसिटर बैंकों की स्थापना शामिल है।

5. सम्पादन करने वाली संस्था (ई.ए.) के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये डिस्कॉम प्रशिक्षण केंद्र क्षमता निर्माण हेतु सहायक के रूप में घटक में शामिल होगा। प्रशिक्षण के अंतर्गत नये कर्मचारियों के लिये प्रेरण प्रशिक्षण , और नयी तकनीक पर प्रशिक्षण, परियोजना प्रबंधन, क्रय, निगरानी और मूल्यांकन, वित्तीय प्रबंधन और वर्त्तमान कर्मचारियों के लिये सुरक्षा उपायों पर प्रशिक्षण शामिल होगा। म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि , इंदौर, (ई.ए.) के दस प्रशिक्षकों और 15 से 20 कर्मचारियों को परियोजना के सहायता से प्रशिक्षित किया जा रहा है। परियोजना का क्षमता निर्माण घटक के हिस्सो के अंतर्गत सेफगार्ड प्रशिक्षण म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि , इंदौर-(ई.ए.) के लिये भी पृथक से दिया जाएगा।

3. पर्यावरण की आवश्यकताएं

6. ए.डी.बी. के सेफगार्ड पॉलिसी स्टेटमेंट 2009 (एस.पी.एस. 2009) पर्यावरण सुरक्षा से सम्बंधित आवश्यकताओं को निर्धारित करता है जो सभी ए.डी.बी. वित्त पोषित परियोजनाओं पर लागू होता है। एस.पी.एस. 2009 के अंतर्गत, परियोजना को पर्यावरण की आवश्यकता के रूप में **"बी"** श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है जिसमें प्रारंभिक पर्यावरण परीक्षण (आई.ई.ई.) को तैयार करना है। एस.पी.एस. 2009 की आवश्यकताओं की पूर्ती के पश्चात, इस आई.ई.ई. को डिस्कॉम-वेस्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इंदौर और उज्जैन क्षेत्रों में वितरण प्रणाली में सुधार के वर्त्तमान परियोजना के घटकों को सम्मिलित करने के लिये अद्यतन किया है।

7. पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम.ओ.आए.एफ.सी.सी.) , भारत सरकार ने सितंबर 2006 में अपनी अधिसूचना में वितरण परियोजनाओं को अपनी गैर प्रदूषणकारी प्रकृति वाली गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय अनुमति लेने से

छूट दी है। तथापि , वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत यदि कोई वितरण लाइन वन क्षेत्रों से गुजरती है तो वन अनुमति लेना आवश्यक होगा।

4. प्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभाव और शमन उपाय

8. वितरण प्रणाली सुधार में सम्मिलित उपप्रोजेक्ट्स का चयन, कार्यस्थल चयन के 13 मानदंडों के आधार और पर्यावरण पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों और भूमि अधिग्रहण से बचने के समग्र उद्देश्य के साथ, 17-प्रश्न की चेकलिस्ट द्वारा निर्देशित किया गया था। उपप्रोजेक्ट्स की वितरण लाइन मुख्य रूप से सोयाबीन, चावल , मकई, सब्जियां और अन्य मौसमी फसलों की कृषि भूमि से गुजरती हैं। कोई भी सबप्रोजेक्ट एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. द्वारा वन के रूप में घोषित क्षेत्र, सांस्कृतिक और पुरातात्विक स्थल जो राष्ट्रीय महत्व के माने जाते है , और मध्य प्रदेश के नौ राष्ट्रीय उद्यान और 25 वन्यजीव अभयारण्य, के भीतर स्थित नहीं है।

9. उपप्रोजेक्टस से पर्यावरण पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव अनपेक्षित होते है , परन्तु निर्माण के समय अस्थायी प्रभाव पड़ सकता है जैसे शोर और धूल स्तर में वृद्धि , जो स्थानीय लोगों के लिये असुविधा का कारण बन सकती है , स्क्रैप सामग्री / मलबे का संचय और उपकेन्द्र निर्माण स्थल पर श्रमिकों की उपस्थिति जिन्हें श्रेष्ट निर्माण इंजीनियरिंग कार्यप्रणाली और उचित नियोजन द्वारा कम किया जा सकता है। वितरण प्रणाली में सुधार, में वर्तमान 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र का उन्नयन समाहित होगा जिसमें उपकरणों को विघटित करना हो सकता है। स्क्रैप सामग्री जो अभी भी उपयोगी है, वो ई.ए. के इंदौर और उज्जैन भंडारो में संग्रहीत की जाएगी।

10. पीपीआर-41-लॉट-I एवं II में कुल 40 नग उपकेन्द्रो में से, परिवर्तित 8 नग उपकेंद्रों के मूल रूप से प्रस्तावित स्थान के परिवर्तनों के संबंध में एक पर्यावरण प्रबंधन योजना और पर्यावरण नियंत्रण योजना तैयार की गई है, जिसमें अतिरिक्त 632.8 किमी 33 के.व्ही. वितरण लाइनें हैं जिसमें से 284 किमी इंदौर और 348.8 किमी उज्जैन के अतिरिक्त फीडर विभाजन के लिये प्रस्तावित है | म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि , इंदौर, के अंतर्गत स्थायी किराये के वितरण ट्रांसफॉर्मर के स्थान पर 1221 नग स्थायी 100 के.व्ही. डीटीआर की स्थापना का नया दायरा तथा सम्बंधित 623 किमी अतिरिक्त 11 के.व्ही. वितरण लाइन, इंदौर (210 किमी) और उज्जैन (413 किमी) का नवीन कार्य-क्षेत्र पीपीआर-42 लॉट-I एवं II में सम्मिलित किया गया है , जिसमें 504 किमी वितरण एल.टी. लाइनों जिसमें, इंदौर (171 किमी) और उज्जैन (333 किमी) की भी आवश्यकता है, उसे पीपीआर-42-लॉट-I एवं II में प्रस्तावित किया गया है। अब एल.टी. लाइनों के साथ 11 के.व्ही. वितरण लाइनों का जो अतिरिक्त दायरा कुल 1127 किमी है, क्रमशः तालिका ई.1 और तालिका ई.2 में दर्शाया गया है।

5. सूचना प्रकटीकरण, परामर्श, और भागीदारी

11. दिनांक 23-26 जुलाई, 2013 के मध्य आयोजित निर्माण स्थल की यात्राओं के दौरान प्रारम्भिक परामर्श किये गए थे और जिन्हें की माह जनवरी 2018 में उद्यतन किया गया था। परियोजना के हितधारकों के साथ परामर्श, परियोजना के सम्पूर्ण कार्यावधि में जारी रहेगा। स्थानीय लोगों की चिंताएं सामान्य थीं और जो इस प्रकार है: (i)

1) भारत के राजपत्र में अधिसूचना, अतिरिक्त सामान्य भाग II और धारा 3, उपधारा II, 14 सितंबर 2006) ।

उनके उत्पादन और आजीविका को प्रभावित करने वाली लोड शेडिंग तथा उर्जा की विश्वसनीय और स्थिर आपूर्ति का अभाव, और (ii) उपकेन्द्र के निर्माण, वितरण खम्बो को खडा करने , और कंडक्टर की स्ट्रिंगिंग की अवधि में प्रभावित किसानों को समय पर मुआवज़े। स्थानीय लोग प्रस्तावित परियोजना से अवगत हैं और बिजली की विश्वसनीय और स्थिर आपूर्ति के दीर्घकालिक लाभ के कारण सामान्यतः सहायक हैं।

12. यह अंतिम अद्यतन आई.ई.ई. एस.पी.एस. 2009 और लोक संचार नीति 2011 के अंतर्गत, ए.डी.बी. की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा। परियोजना की फैक्टशीट या नित्य पूछे जाने वाले प्रश्नो को हिंदी में ई.ए. के फील्ड कार्यालयों में उपलब्ध कराए जाएंगे। इस सार्वजनिक प्रकटीकरण आवश्यकता के अतिरिक्त, भारत सरकार के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 परियोजना के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिये ई.ए. को अतिरिक्त दायित्व भी प्रदान करता है।

6. संस्थागत सेट-अप और कार्यान्वयन व्यवस्था

13. म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि, इंदौर, की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी.एम.यू.) का गठन ई.ए. में पहले ही किया जा चुका है, जो परियोजना प्रबंधन तथा निर्माण के समय ठेकेदार द्वारा सुरक्षा उपायों के अनुपालन की निगरानी के लिये उत्तरदायी है। पी.एम.यू. ने सिविल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के कार्यादेश से पूर्व ही पर्यावरण सलाहकार और नोडल अधिकारी नियुक्त किये हैं, जो मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी हैं कि, ई.एम.पी. उचित रूप से कार्यान्वित किया गया है और निर्माण के समय वर्ष में कम से कम दो बार तथा संचालन चरण की अवधि में वर्ष में एक बार ए.डी.बी. को प्रेषित करने के लिये पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट तैयार की जा रही है | पी.एम.यू. ने ई.एम.पी. और ए.डी.बी. की आवश्यकताओं का उत्तरदायित्व के साथ अनुपालन करने के लिये ई.पी.सी. ठेकेदार को दिये गए कार्य आदेशों में नियम और शर्तें को सम्मिलित किया था।

7. शिकायत निवारण तंत्र

14. कार्यान्वयन के दौरान प्रभावित व्यक्तियों (ए.पी.) से प्राप्त शिकायतो से निपटने के लिये पी.एम.यू.-म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि, इंदौर, में ई.ए. द्वारा एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया था। प्रभावित व्यक्ति तीन स्तरों पर अपनी शिकायत का निवारण कर सकते हैं: (i) पी.एम.यू. संबंधित ई.ए. स्तर पर , (ii) शिकायत निवारण समिति (जी.आर.सी.) , और (iii) कानून की उपयुक्त अदालतें। जैसे ही प्रोजेक्ट आरम्भ होता है पी.एम.यू. द्वारा सम्बंधित ई.ए. में जी.आर.सी. की स्थापना की जाती है, जो निर्माण से लेकर ऑपरेशन तक कार्य करता है। पी.एम.यू. संबंधित ई.ए. में जी.आर.सी. के सदस्यों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है जिसमें स्थानीय पंचायत प्रमुख, एक जिला राजस्व आयुक्त, ई.पी.सी. ठेकेदार के प्रतिनिधि केवल निर्माण चरण के समय, सुरक्षा उपायों के लिये ई.ए. के नामित कर्मचारी, ई.ए. के प्रबंधक / निदेशक , तथा शिकायतकर्ता / प्रभावित व्यक्ति का गवाह भी शामिल होते हैं।

8. निष्कर्ष और सिफारिशें

15. उपप्रोजेक्ट का चयन मानदंडों का अनुसरण कर और उचित सर्वेक्षण विधियों के बाद संभावित महत्वपूर्ण प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों और भूमि अधिग्रहण से बचने के उद्देश्यों के साथ किया गया था। वितरण लाईन मार्ग मुख्य रूप से सोयाबीन , चावल, मकई, सब्जियां और अन्य नकद फसल की कृषि भूमि से गुजरते हैं। कोई भी सबप्रोजेक्ट पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के समीप या भीतर स्थित नहीं है जैसे एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. द्वारा घोषित जंगल, राष्ट्रीय महत्व के पुरातात्विक और उत्खनन स्थलों, नौ राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश में 25 वन्यजीव अभ्यारण्य।

16. निर्माण के दौरान और ऑपरेशन के दौरान भी, उपप्रोजेक्ट्स में से कोई भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। तथापि , उपकेंद्रों स्थलों के लिये "राईट ऑफ़ वे" के संबंध में वनस्पति और भूमि समाशोधन की आवश्यकता होगी जिसे निर्माण योजना में उचित नियोजन , परामर्श और सर्वोत्तम प्रथाओं से आसानी से कम किया जा सकेगा। पर्यावरण प्रबंधन योजना में निगरानी उपायों को शामिल किया गया है और पर्यावरण निगरानी योजना में निगरानी के लिये पैरामीटर की पहचान भी की गई है।

17. परियोजना द्वारा संभावित रूप से प्रभावित स्थानीय लोगों के साथ परामर्श से पता चलता है कि उनकी चिंताएं सामान्य हैं जैसे (i) उनके उत्पादन और आजीविका को प्रभावित करने वाली लोड शेडिंग तथा उर्जा की विश्वसनीय और स्थिर आपूर्ति का अभाव , और (ii) उपकेन्द्र के निर्माण , वितरण खम्बो को खडा करने , और कंडक्टर की स्ट्रिंगिंग की अवधि में प्रभावित किसानों को समय पर मुआवज़े। कुल मिलाकर स्थानीय लोग प्रस्तावित परियोजना से अवगत हैं और बिजली की विश्वसनीय और स्थिर आपूर्ति के दीर्घकालिक लाभ के साथ साथ रोजगार के अवसरों के कारण सामान्यतः सहायक होते हैं। परियोजना के सम्पूर्ण कार्यावधि में परामर्श जारी रहेगा। प्रत्येक ई.ए. में पी.एम.यू. द्वारा कार्यान्वयन के दौरान प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त होने वाली शिकायतों और मुद्दों को उचित प्रकार से हल करने के लिये एक शिकायत निवारण तंत्र (जी.आर.सी.) स्थापित किया जाएगा।

18. यह अद्यतन आई.ई.ई. रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से एस.पी.एस. 2009 और लोक संचार नीति 2011 द्वारा आवश्यक, ए.डी.बी. की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। परियोजना की संक्षिप्त और / या फैक्टशीट हिंदी में तैयार की जाएगी और ई.ए. के प्रत्येक पी.एम.यू.-फील्ड कार्यालयों में जनता के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। क्षमता निर्माण के घटक में सेफगार्ड से सम्बंधित कार्यशाला / प्रशिक्षण का आयोजन भी शामिल है। परियोजना के परिणाम स्वरुप बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और स्थिरता से मध्य प्रदेश में जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक विकास की गति में सुधार होने की आशा है।

तालिका ई .1 पर्यावरण प्रबंधन योजना (3066)

परियोजना की गतिविधि	संभावित प्रभावित होने वाले पर्यावरणीय घटक	संभावित पर्यावरणीय प्रभाव का विवरण	शमन / संवर्द्धन उपाय	अनुमानित लागत	उत्तरदायी इकाई
योजना और पूर्व निर्माण चरण					
व्यवहारिक अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी (डी.पी.आर.) • उपकेंद्र और वितरण लाइनों के कार्यस्थल • उपकरण और प्रौद्योगिकी का चयन •मूल प्रस्तावित 40 नग उपकेंद्रों में से 8 नग उपकेन्द्रों का स्थान परिवर्तन एवं संवर्धन • 100 के.वी.ए. वितरण ट्रांसफॉर्मर और संबंधित 11 के.व्ही. और एल.टी. वितरण लाइनें	भूमि और वनस्पति	• कृषि भूमि और फसलों का नुकसान • आबादी और वनस्पति का नुकसान • भूमि अधिग्रहण • मिट्टी के कटाव में वृद्धि और मिट्टी कीउत्पादकता पर प्रभाव	• कार्यस्थल चयन के लिये 13 मानदंडों का उपयोग किया गया है, जिसमें संभावित प्रभावों को कम करने के लिये पर्यावरणीय कारक शामिल हैं | • उपकेंद्र साइटों का मूल्यांकन करने में 17-प्रश्न चेकलिस्ट / प्रश्नावली का उपयोग किया गया है, जिसका उद्देश्य भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय प्रभाव से बचने का लक्ष्य है | • म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) के 40 नग उपकेंद्र सरकारी भूमि पर हैं, जिसमें 8 नग के स्थानों का परिवर्तन शामिल हैं | • भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सरकार से स्वामित्व को म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट), में स्थानांतरित कर दिया गया है | • 40 नग 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र (8 नग स्थान परिवर्तन सहित), फीडर विभाजन के लिये अतिरिक्त 33 के.व्ही. वितरण लाइन तथा अतिरिक्त 1127 किमी 11 के.व्ही. और एल.टी. वितरण लाइन का पर्यावरण, वन, संरक्षित क्षेत्रों तथा अभयारण्य पर कोई प्रभाव नहीं होगा | • ट्रांसफॉर्मर के लिये खनिज तेल जैसे डुरा लाइफ	परियोजना की लागत में शामिल सरकार से म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) को भूमि हस्तांतरण की निश्चित लागत डिस्कॉम-वेस्ट द्वारा वहन की जाएगी	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
	लोग	• लोगों और संरचनाओं का भौतिक विस्थापन • लोगों की आर्थिक हानि • लोगों को यातायात, शोर, धूल व कंपन के स्तर में वृद्धि के कारण होने वाली परेशानी व असुविधा • मौजूदा सुविधाओं में व्यवधान			
	पानी	• स्थानीय जल निकासी में व्यवधान • पानी की गुणवत्ता पर क्षरण और / या अवशोषण के कारण प्रभाव			
	वायु	• धूल और शोर के स्तर, और कंपन के स्तर में बढ़ोतरी • भारी उपकरण मशीनरी और			

		निर्माण वाहनों से उत्सर्जन	ट्रांसफॉर्मर ऑयल का उपयोग (आमतौर पर ऑपरेशन चरण में होता है)। • एस.एफ 6 (एक शक्तिशाली जी.एच.जी. गैस) के उत्सर्जन से बचने के लिये वायु इन्सुलेटेड (जी.आई.एस.) उपकेंद्र का उपयोग।		
निर्माण चरण					
ठेकेदार और श्रमिकों के लिये प्राथमिकताएं	लोग	• श्रमिकों की पर्यावरण आवश्यकताओं और उनकी ज़िम्मेदारी पर जागरूकता • ई.एम.पी. लागू करने में ई.पी.सी. ठेकेदार को अपने दायित्वो का बोध।	• ई.एम.पी., रिकॉर्ड प्रबंधन, और रिपोर्टिंग पर ई.पी.सी. ठेकेदारों को अवगत कराना | • निगरानी के लिये महत्वपूर्ण क्षेत्रों और आवश्यक शमन उपायों की पहचान करें • एच.आई.वी. / एड्स जैसे यौन संक्रमित बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा करें |	ई.पी.सी. ठेकेदार की लागत में शामिल	ई.पी.सी. ठेकेदार, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू., पी.एम.यू. के पर्यावरण कर्मचारी / पी.एम.यू. का पर्यावरण परामर्शदाता
कार्य प्रबंधन हेतु कार्य योजना बनाना	लोग	• ई.पी.सी. ठेकेदारों द्वारा अनियोजित गतिविधियों के प्रभाव से बचाव • कार्य का सुचारू रूप से क्रियान्वयन	• अस्थायी पैदल यात्री और यातायात प्रबंधन योजना • सामुदायिक और सुरक्षा योजना	ई.पी.सी ठेकेदार की लागत में शामिल	ई.पी.सी. ठेकेदार, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू., पी.एम.यू. के पर्यावरण कर्मचारी / पी.एम.यू. का पर्यावरण परामर्शदाता
	भूमि		• स्पोइल निपटान योजना		
	वायु		• शोर और धूल नियंत्रण योजना		
	पानी		• ड्रेनेज और भारी वर्षा प्रबंधन योजना		
	अपशिष्ट		• सामग्री प्रबंधन योजना • निर्माण अपशिष्ट प्रबंधन योजना		
परियोजना कर्मचारियों और श्रमिकों की भर्ती	लोग	• सशक्त श्रमिकों के प्रवासन केकारण संघर्ष • परियोजना के लिये स्थानीय	• ई.पी.सी. ठेकेदार को मशीनरहित काम के लिये स्थानीय श्रम और लिपिक और कार्यालयीन कार्य के लिये योग्य स्थानीय कार्यबल का उपयोग करने	---	ई.पी.सी. ठेकेदार, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर

		समर्थन की कमी • भर्ती की पारदर्शिता पर विवाद	की आवश्यकता होगी		(डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू., पी.एम.यू. के पर्यावरण कर्मचारी / पी.एम.यू. का पर्यावरण परामर्शदाता
निर्माण स्थलों पर श्रमिकों की उपस्थिति	लोग	• खाद्य, अस्थायी आवास आदि जैसी सेवाओं की मांग में वृद्धि • खाद्य, अस्थायी आवास इत्यादि जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिये लघु-स्तरीय व्यवसाय के अवसर बनाना।	• कोई आवश्यकता नहीं	--	--
• उपकेंद्र और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिये कार्यस्थल की तैयारी, वनस्पति और भूमि की सफाई (राईट ऑफ़ वे) • उपकेंद्र का निर्माण, उपकेंद्र पर आवश्यक उपकरणों की स्थापना, वितरण खम्बो की स्थापना और कंडक्टरों को स्ट्रिंगिंग (खींचना)	लोग	• 33/11 के.व्ही. उपकेंद्रों (40 कार्यस्थल) और 11 के.व्ही. और एल.टी. वितरण लाइनें	• निर्माण प्रबंधन योजना को सख्ती से लागू किया जाएगा • संरचनाओंऔर उपकरणों को नष्ट करने में उचित सुरक्षा वस्त्रो/ उपकरण का उपयोग करें • निर्धारित लैंडफिल और / या नियंत्रित डंपसाइट्स में मलबे / विघटित संरचनाओं / उपकरणों का निपटारा किया जाएगा • निकालने के पश्चात पुनः उपयोग करने योग्य स्क्रैप सामग्री इंदौर में पुनर्विक्रय / नीलामी के लिये म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) के गोदामों में जमा की जाएगी	ई.पी.सी ठेकेदार की लागत में शामिल	ई.पी.सी. ठेकेदार, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू., पी.एम.यू. के पर्यावरण कर्मचारी / पी.एम.यू. का पर्यावरण परामर्शदाता
		• समुदाय के लिये संभावित सुरक्षा जोखिम	• फेंसिंग/बेरिकेड लगाना (आवश्यकतानुसार), पर्याप्त रोशनी, स्पष्ट चेतावनी संकेत और खतरे के सिग्नल प्रदान करें, और समुदाय और सुरक्षा योजना में		

			पहचाने गए सभी सावधानी बरतें • दुर्घटनाओं, अपराध, और चोरी को रोकने के लिये सुरक्षा कर्मियों कीनियुक्ति • सड़क नियमों का सख्ती से पालन करने के लिये ई.पी.सी. ठेकेदार ड्राइवरों को निर्देशित करें।		
		• सड़क क्रॉसिंग के साथ सावधानियां	• निर्धारित साइटों पर खतरे और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले चेतावनी संकेत पोस्ट किये जाएंगे • मचान सड़क के किनारे पर रखा जाएगा • निर्माण वाहन द्वारा सड़क के नियमों का सख्ती से पालन • अस्थायी पैदल यात्री और यातायात प्रबंधन योजना लागू करना।		
		• श्रमिकों को संभावित स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम	• स्वच्छता सुविधाएं और धुलाई का क्षेत्र प्रदान करें • सुरक्षित पेय जल और कचरा डिब्बे प्रदान करें • हर समय अच्छी हाउसकीपिंग लागू करें • श्रमिकों को हेलमेट, सुरक्षा जूते और बेल्ट प्रदान करें • दुर्घटनाओं के मामले में व्यवस्था के लिये निकटतम अस्पताल के साथ समन्वय • उपकेंद्र साइटों पर साप्ताहिक राउंड के लिये नर्स या मेडिकल स्टाफ का गठन करें • निर्माण स्थलों और फील्ड ऑफिस के भीतर प्राथमिक चिकित्सा उपचार स्थापित करें • कानून और सर्वोत्तम इंजीनियरिंग प्रथाओं द्वारा आवश्यक प्रासंगिक सुरक्षा उपायों के साथ निरीक्षण और अनुपालन		

			• पदांकित श्रमिकों को संचार उपकरण प्रदान करें		
	भूमि और वनस्पति	• क्षरण और स्थानीय बाढ़ हेतु (उदाहरण के लिये, 33/11 के.व्ही. उपकेंद्र हेतु) • प्राकृतिक वतावरण को नुकसान और आर्थिक मूल्य के कुछ परिपक्व पेड़ जैसे टीक (उदाहरण के लिये, 132/33 के.व्ही. सबस्टेशन) का नुकसान	• राईट ऑफ वे और उपकेंद्र के कारण फसलों / पौधों को होने वाले अस्थायी क्षति के लिये मुआवजा • सरकार के स्वामित्व वाले कटे पेड़ बेचे जाएंगे और राजस्व विभाग को प्राप्त राजस्व दिया जाएगा • वनस्पति को कम से कम क्षति होगी क्योंकि अधिकांश उपकेंद्रों के स्थान घास के मैदान / झाड़ी वाली भूमि है। • निर्माण कार्यों के पूरा होने के बाद नये उपकेंद्रों पर वृक्षारोपण व उखाड़े गए वृक्षो का पुनः रोपण किया जाएगा। • क्षरण नियंत्रण उपाय प्रदान किये जाएंगे (आवश्यकतानुसार) • कबाड़ निपटान योजना और निर्माण अपशिष्ट प्रबंधन योजना लागू करें		
	पानी	• निर्माण में कार्यरत श्रमिकों से सीवेज का उत्पादन • स्थानीय बाढ़ • निर्माण स्थलों के पास सतह के पानी में टर्बिडिटी का बढ़ना	• कार्यस्थल के चयन में जलमार्ग से बचें • श्रमिकों को सुरक्षित पेयजल और शौचालय सुविधाएं प्रदान करें • सम्भावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रो एवं भूमि क्षरण वाले क्षेत्रो में गर्मी के दौरान निर्माण कार्य किए जाएंगे। • जल निकासी और बाढ के पानी के लिये प्रबंधन योजना लागू करें • उपप्रोजेक्ट साइट के चयन में जलमार्ग से बचा जाए।		

	वायु	• भारी उपकरण और निर्माण वाहन उत्सर्जन में वृद्धि कर सकते हैं। • निर्माण स्थलों पर निर्माण सामग्री के परिवहन से धूल के स्तर में वृद्धि कर सकते हैं। • उपकेंद्रों व खम्बे हेतु जमीन पर चलने वाले कार्य, खुद गई व खुली जमीन पर चलने वाले कार्य धूल के स्तर में वृद्धि कर सकते है। • उत्खनन और भारी उपकरण और निर्माण वाहनों से शोर के स्तर और कंपन में वृद्धि हो सकती हैं।	वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिये निर्माण में कार्यरत वाहनो का रख-रखाव किया जाएगा। • अस्थायी रूप से निर्माण स्थलों को ढ़कने से धूल का विक्षेपण होगा। • सामग्री को लाने की फेरी को कम करने के लिये कार्यस्थल पर ही निर्माण सामग्री के लिये वेयरहाउस प्रदान किया जाएगा। • उत्सर्जन को कम करने के लिये नियमित रूप से निर्माण वाहनों और भारी उपकरण मशीनरी की देख-रेख की जएगी जो कि ई.पी.सी. ठेकेदार का उत्तरदायित्व होगा। • खुले मैदानी क्षेत्रों या धूल के स्रोतों पर पानी से छिड़काव किया जाएगा (आवश्यकतानुसार) • एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय धूल पैदा करने वाली सामग्री को ढ़का जाएगा। • शोर को कम करने के लिये वाहनों की धीमी गति पर ध्यान दिया जाएगा। • ई.पी.ए. अधिनियम 1986 और संशोधन के अनुसार दिन में सुबह 7:00 और शाम 7:00 के मध्य शोर-करने वाले कार्य किये जाएंगे। • निर्माण स्थलों को ध्वनिक स्क्रीन से ढ़का जाएगा और मशीनों के शोर को नियंत्रित करने के लिये अस्थायी रूप से उसके समीप ढ़का जाएगा, (एम.पी.पी.सी.बी. दिशानिर्देश, फरवरी 2013) • निर्माण वाहनों द्वारा शोर को कम करने और हॉर्न न बजाने के लिये तैयार किया जाएगा यह ई.पी.सी.		

			ठेकेदार का दायित्व रहेगा। • यातायात प्रबंधन योजना का निरीक्षण / पालन किया जाए।		
कार्यरत और रखरखाव चरण					
ट्रांसफॉर्मर के लिये खनिज तेल का उपयोग	• भूमि • पानी	• दुर्घटनावश हुए तेल (ऑईल) छलकाव जो भूमि और पानी को दूषित करेंगे।	• तेल-पानी विभाजक का प्रावधान • तेल रोकथाम संरचना की उपलब्धता	परियोजना लागत में (संचा/संधा) भी शामिल है।	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
	• लोग	• सम्पर्क के कारण श्रमिकों का स्वास्थ्य जोखिम	• खनिज तेल, सामग्री डेटा सुरक्षा शीट के साथ स्वीकार किया जाए अथवा यह प्रमाणित होना चाहिये कि यह पी.सी.बी. मुक्त है। • खनिज तेल के लिये भंडारण क्षेत्रों में आग बुझाने वाले यंत्र आसानी से उपलब्ध होना चाहिए।		
उपकेंद्रों, विद्युत वितरण और वितरण लाइनों की उपस्थिति	• भूमि	• उपकेंद्र और विद्युत वितरण खम्बो के समीप भूमि संपत्ति के मूल्य का मूल्यह्रास	• स्थिर और विश्वसनीय ऊर्जा की उपलब्धता क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देगी।	--	--
	• लोग	• विद्युत वितरण और वितरण लाइनों की आकस्मिक विपदा जैसे इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली गिरना आदि जैसे खतरे	• उपकरण और लाइनों की चोरी व तोड़-फोड़ से बचने के लिये सुरक्षा और निरीक्षण कर्मियों का उपलब्ध कराना। • रख-रखाव के काम के दौरान लाइव पावर लाइनों के उचित ग्राउंडिंग और डिएक्टिवेशन। • ऐसी सुरक्षा प्रणाली के साथ डिज़ाइन किया (बनाया) गया है जो विद्युत ओवरलोड (overload)	परियोजना लागत में (संचा/संधा) भी शामिल है।	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.

			या इसी तरह की आपात स्थिति के दौरान सप्लाई बंद कर देती है। • विद्युत मानकों को बनाए रखें और उनका पालन करना। • उपकेंद्र में प्रवेश करने और बाहर जाने वाली वितरण लाईने हनिकारक प्रभाव को कम करने के लिये इन्सुलेटेड (या कवर) होती हैं। • बिजली लाइनों और उपकेंद्र की सुरक्षा और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिये नियमित निगरानी और रख-रखाव करना। • उपकेंद्र के पास रहने के वालो को सुरक्षा नियम संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिये स्थानीय लोगों को सूचना और शिक्षा अभियान आयोजित करना।		
		• ऊंचाई पर काम करने से संबंधित दुर्घटना।	• जोखिम को कम करने के लिये सुरक्षा योजना लागू की। • सुरक्षा बेल्ट और सुरक्षा के लिये अन्य काम करने वाले गियर का प्रावधान।	परियोजना लागत में (संचा/संधा) भी शामिल है।	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
		• बिजली और चुंबकीय क्षेत्रों (ई.एम.एफ.) के संभावित जोखिम	• ई.एम.एफ. स्तर गैर-आयोनिज़िंग विकिरण संरक्षण (आई.सी.एन.आर.पी.) पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से नीचे होने की उम्मीद है, जो विद्युत क्षेत्र के लिये 4.17 के.व्ही. / मीटर और चुंबकीय क्षेत्र के लिये 833 एम.जी. है। • ई.एम.एफ. के स्थानिक माप • उपकेंद्र में अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिये उसके चारो ओर बाड़े का निर्माण कर सुरक्षा कर्मचारियों को सौंपा जाना।	परियोजना लागत में (संचा/संधा) भी शामिल है।	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.

			• सुरक्षा नियम पर जागरूकता लाने के लिये स्थानीय लोगों को सूचना और शिक्षा अभियान आयोजित किया जाएगा।		
		रोजगार का सृजन	कार्य के दौरान 80 से अधिक पदों का सृजन किया जाएगा।	--	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
	• ध्वनि	उपकेंद्रों के पास स्थित बस्तियों के लिये खलल।	• शोर को कम करने के लिये ट्रांसफॉर्मर और कैपेसिटर्स जैसे उपकरणों का आवधिक रख-रखाव किया जाएगा। • शोर करने वाले उपकरण को कवर किया जाना। • वातावरण में शोर के स्तर की निगरानी की जाएगी।	परियोजना लागत में (संचा/संधा) भी शामिल है।	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.

तालिका ई. 2 पर्यावरण निगरानी योजना

परियोजना चरण	पैरामीटर / संकेतक	स्थान	मापन का तरीका	आवृत्ति	जिम्मेदारी (कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण)
पूर्व निर्माण और योजना	उपकरण और मशीनरी की गारंटीकृत शोर स्तर	उपकेंद्र साइटें	मशीनरी और उपकरण विनिर्देश - व्यापक शोर के स्तर का अनुपालन किया जाएगा।	एक बार	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
	भूमि गुणवत्ता	उपकेंद्र साइट्स और वितरण खम्बे	नमूने का चयन और रासायनिक विश्लेषण किये जाएंगे।	एक बार	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की

					पी.एम.यू.
	ट्रांसफॉर्मर तेल की गुणवत्ता	उपकेंद्र साइटें	सामग्री सुरक्षा डेटा शीट – आई.एस. 1866 के अनुपालन में।	एक बार	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
	स्थलीय और जलीय जीवों का नुकसान	उपकेंद्र साइटें	नजरी निरीक्षण, ट्रान्ससेक्ट सर्वेक्षण करना	एक बार	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
	पानी संसाधनों की निकटता	उपकेंद्र साइट्स और वितरण खम्बे	नजरी निरीक्षण करना, नक्शे बनाना	एक बार	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
	प्रवासी पक्षियों के मार्ग	उपकेंद्र साइट्स और वितरण खम्बे	नजरी सर्वेक्षण / अवलोकन करना, द्वितीयक आँकड़े रखना	मौसमी विविधताओं को दर्ज़ करने के लिये त्रैमासिक रूप से	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
निर्माण	स्थानीय श्रमिकों और कर्मचारियों की भर्ती	उपकेंद्र वितरण लाइन, कंडक्टर स्ट्रिंगिंग	भर्ती किये गए स्थानीय श्रमिकों और कर्मचारियों की संख्या संधारित करना	मासिक	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.; ई.पी.सी. ठेकेदार
	एचआईवी / एड्स जैसे मुद्दों पर ठेकेदारो और श्रमिकों का	उपकेंद्र वितरण लाइन, कंडक्टर स्ट्रिंगिंग	प्रतिभागियों की संख्या संधारित करना	निर्माण से पहले एक बार,	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की

	अभिविन्यास, ई.एम.पी. के अनुपालन आदि।				पी.एम.यू.
	निर्माण वाहनों के कार्यकलापो से पहले खुले मैदान पर पानी का छिड़काव	उपकरण और निर्माण सामग्री के वितरण, वितरण खम्बो (यदि आवश्यक हो); कंडक्टर की स्ट्रिंगिंग से प्रभावित उपकेंद्रों और सड़क की सुगमता	नजरी निरीक्षण / मौके पर चेक करना	• साप्ताहिक सड़क की सुगम्ता अनुसार (या अवश्यकतानुसार) • सूखे मौसम के दौरान हर दिन उपकेन्द्रों साइट्स पर	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.; ई.पी.सी. ठेकेदार
	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	उपकेंद्र श्रमिक "शिविर, कंडक्टर की स्ट्रिंगिंग, वितरण खम्बे	नजरी निरीक्षण / मौके पर चेक करना	प्रति सप्ताह	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.; ई.पी.सी. ठेकेदार
	श्रमिकों और जनता की सुरक्षा के लिये खतरे और चेतावनी संकेत	उपकरण और निर्माण सामग्री के वितरण, वितरण खम्बो (यदि आवश्यक हो); कंडक्टर की स्ट्रिंगिंग से प्रभावित उपकेंद्रों और सड़क की सुगमता।	नजरी निरीक्षण / मौके पर चेक करना	महीने में एक बार	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
	कार्यसूची का जनता के समक्ष घोषणा करना	उपकेंद्रों; सड़क की सुगमता से लगकर होने से वितरण लाइनों के इंटर-कनेकशंस से, खम्बो और	कार्य अनुसूची लॉग शीट बनाना	आवश्यकतानुसार	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की

		कंडक्टरों की स्ट्रिंगिंग से प्रभावित होती है।			पी.एम.यू.; ई.पी.सी. ठेकेदार
	क्षरण नियंत्रण उपाय जैसे गंध जाल	उपकेंद्र, वितरण खम्बे	नजरी निरीक्षण करना	महीने में एक बार	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.; ई.पी.सी. ठेकेदार
	निर्माण वाहनों से होने वाला धुआं	उपकेंद्र, वितरण खम्बे, और कंडक्टर की स्ट्रिंग	नजरी निरीक्षण / मौके पर जांच करना	साप्ताहिक	ई.पी.सी. ठेकेदार, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू. के पर्यावरण कर्मचारी
	वायु की गुणवत्ता और ध्वनि स्तर की निगरानी	उपकेंद्र परिसर के भीतर।	एम.ओ.ई.एफ. से स्वीकृत पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से मॉनिटरिंग करना।	परियोजना के पूरा होने तक अर्धवार्षिक।	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.; ई.पी.सी. ठेकेदार
	हाउसकीपिंग	उपकेंद्रों, वितरण लाइन, श्रमिक शिविर	नजरी निरीक्षण / मौके पर चेक करना	साप्ताहिक	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.; ई.पी.सी. ठेकेदार
संचालन (ऑपरेशन)	वितरण खम्बो और / या वितरण लाइनों का	संरेखण के साथ	लॉग शीट का रख-रखाव करना	मासिक	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर

	फेल्युअर				(डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
	वायु की गुणवत्ता निगरानी	उपकेंद्र परिसर के भीतर।	एम.ओ.ई.एफ. से स्वीकृत पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से मॉनिटरिंग करना।	वार्षिक	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
	कार्य के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा	उपकेंद्र, वितरण लाइनें	दुर्घटनाओं और / या चोटों की संख्या संधारित करना	अर्धवार्षिक	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
	वृक्ष रोपण, हरीयाली वाले क्षेत्र का रख-रखाव	उपकेंद्रों	नजरी निरीक्षण करना	त्रैमासिक	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
	हाउसकीपिंग	उपकेंद्रों	मौके पर जांच करना	मासिक	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
	अपशिष्ट का संग्रह (यानी, तेल, कचरा, आदि)	उपकेंद्रों	(संचा/संधा) लॉग शीट बनाना	मासिक	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.
	पक्षी टक्कर / विद्युत प्रसंस्करण	वितरण खम्बो और वितरण संरेखण के साथ	मौके पर चेक / अवलोकन करना	मासिक	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.

	केबल की चोरी	वितरण खम्बो और वितरण लाइनों के साथ	नजरी निरीक्षण; (संचा/संधा) लॉग शीट (सुरक्षा संचालन) रखना	त्रैमासिक	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर (डिस्कॉम-वेस्ट) की पी.एम.यू.